मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 13641 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / संधारण /18 भोपाल दिनांक 25/06 / 18

प्रति

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
..............(म.प्र.)

विषय :–ई–मार्ग में राज्य संपर्कता (स्टेट कनेक्टिविटी), मंडी राशि एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा निर्मित नॉन कोर नेटवर्क मार्गो पर संधारण कार्यो के भुगतान के संबंध में।

संदर्भः– 1. मुख्यालय का पत्र क्र. 6350 दिनांक 27 / 03 / 2018।
2. मुख्यालय का पत्र क्र. 11083 दिनांक 22 / 05 / 2018।

–0–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित कोर नेटवर्क मार्गो को ई – मार्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जा चुका है। परन्तु ऐसे मार्ग जो कोर नेटवर्क में सम्मिलित नही हैं, उन्हें ई–मार्ग से पृथक रखा गया था। ऐसे मार्गो को ई–मार्ग में सम्मिलित करने के लिए मुख्यालय द्वारा पत्र क्र. 6350 दिनांक 27 / 03 / 2018 में दिये निर्देशों के अनुसार इकाईयों से प्राप्त जानकारी संकलित कर NIC को प्रेषित की गई है। इन मार्गों को ई–मार्ग में सम्मिलित करने के लिए पैकेज बनाने संबंधी निर्देश भी मुख्यालय के पत्र 11083 दिनांक 22 / 05 / 2018 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशानुसार इन सभी मार्गों को 15 जुलाई 2018 तक ई–मार्ग में सम्मिलित किया जाना है। अतः सभी इकाईयां मुख्यालय के पत्र दिनांक 22 / 05 / 2018 में दिये निर्देशों का पालन करते हुए मार्गों के निर्माण पैकेजों को ई–मार्ग पर बनाने का कार्य पूर्ण करें। इकाईयों द्वारा प्रेषित जानकारी संकलित रूप में Google sheet (प्रपत्र–1) के माध्यम से Live की जा रही है। इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार उल्लेखित की जा रही है–

1- Google sheet में सभी इकाईयां निम्नानुसार प्रविष्टि करे :–

a. कॉलम क. 2 में पीआईयू का नाम।

b. कॉलम क. 3 में उस निर्माण पैकेज का क्रमांक अंकित करेंगे जिसके अंतर्गत मार्ग पूर्ण किया जाकर Pre 5 maintenance में संधारित किया गया / जा रहा है।

c. कॉलम क. 7 में रोड आई–डी का प्रारूप L (Link route) एवं T (Trough route) के उपरांत 3 Digit तक ही रखे, उदाहरण के लिए L301, L302 आदि, अन्य कोई प्रारूप न रखे उदाहरण के लिए L0301, L0302 आदि। रोड आई–डी बनाने की प्रकिया संदर्भित पत्र क. 1 के अनुरूप रखना सुनिश्चित करे, जो कि निम्नानुसार हैः–

प्रत्येक विकासखण्ड में स्टेट कनेक्टिविटी के तहत निर्मित मार्गों के लिए L 301 से L 400 कोड तथा मंडी निधि के निर्मित मार्गों के लिए L 401 से L 500 कोड अंकित करें।

d. कॉलम क. 12 में पहुंच मार्ग के प्रारंभ का चैनेज एवं कॉलम क. 13 में पहुंच मार्ग के अंतिम चैनेज की प्रविष्टि करे बीटी लंबाई एवं सीमेंट कांक्रीट लंबाई के चैनेजों की अलग–अलग प्रविष्टि न करें।

e. आपके द्वारा पूर्व में प्रेषित कॉलम क. 10,11,12,13,14 एवं 15 की जानकारी की पुष्टि पुनः अभिलेखो से करे एवं यदि कोई परिवर्तन है तो उसे परिवर्तित कर सही जानकारी की प्रविष्टि करे।

f. कॉलम क. 15 में सड़क की Top Width अंकित की जानी है, जिसमें Top Width 6 मी अथवा 7.5 मी अंकित करें।

g. कॉलम क. 17 Target Habitation Name में किसी भी प्रकार की NumericValue/ Polpulation आदि की प्रविष्टि न करे।

2- मार्ग निर्माण के पैकेज को ई–मार्ग पर Create करने के लिए Data Maintenance में जाकर Construction पैकेज के अंतर्गत New पर Click कर पैकेज के अनुबंध से संबंधित जानकारी की प्रविष्टि करे एवं Scheme के अंतर्गत Upgradation(UPG), State Connectivty(SC), Gravel to BT (CM या GB), Mandi(MR), PMGSY, State Mandi(SM) , IAP (I), Special Packages (SP) में से सही Scheme का चुनाव करें।

3- इकाई द्वारा ई–मार्ग पर पैकेज Create होने एवं अनुबंध की जानकारी की डाटा एण्ट्री पूर्ण करने के बाद NIC द्वारा पैकेज में मार्गो के Back end से प्रविष्टि की जाएगी।

4- NIC द्वारा पैकेज में मार्गो की Back end से प्रविष्टि के उपरांत पोर्टल पर मार्ग की Actual length, Width तथा ट्रैफिक कर्व आदि जिसके आधार पर संधारण भुगतान किया गया/जाना है को पीआईयू द्वारा Update कर पैकेज की पूर्णता तिथि अंकित की जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि मार्ग की लंबाई चौडाई एवं ट्रैफिक कर्व आदि का विवरण, अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत ही अंकित किया जाए जिससे किसी भी प्रकार की सुधार की आवश्यकता न रहे।

कार्य सुविधा की दृष्टि से पीआईयू स्तर पर मार्गो की जानकारी संकलित रखने हेतु प्रपत्र–2 संलग्न कर प्रेषित है, सर्वप्रथम पीआईयू स्तर पर निर्धारित प्रपत्र–2 पर जानकारी तैयार करे, परीक्षण करे तदउपरांत E-Marg पर Entry करावे जिससे त्रुटि होने को संभावना न रहे।

5- वर्तमान में मार्ग का स्तर Pre 5 maintenance, Post 5 maintenance या Post 10 maintenance का हो सकता है। Construcution पैकेज के अंतर्गत की गई डाटा एण्ट्री के आधार पर ही आगामी संधारण के भुगतान होते हैं। अतः डाटा एण्ट्री में पूर्ण सावधानी रखी जाएं।

उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों का पालन करते हुए सभी Non core network मार्गों को दिनांक 15/07/2018 तक ई–मार्ग पर सम्मिलित करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से पूर्ण करें।

24/6/18

(विजय गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक–संधारण
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

क्र.13642/22/वि–12/ग्रासप्रा/संधारण/18 भोपाल दिनांक 25/06/18

प्रतिलिपि–

- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ... (म.प्र.)
- वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) – की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24/6/18

मुख्य महाप्रबंधक–संधारण
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

E:\Maintenance\MANSI\E-MARG LETTERS.doc

Format-1

Package-wise list of roads covered under state connectivity, State Mandi and Mandi Road packages

District Name	PIU Name	Package Number (Construction Package)	Package Number (Current package of Maintenance)	Block Name	Existing Roads Code (If any)	Road ID	Road Name	Actual Road Length (in KM)	BT Length	CC Length	From Chainage (In Meter)	To Chainage (In Meter)	Road Curve (B or C)	Road Width (6 Mt./7.5 Mt.)	Target Habitation Code	Target Habitation Name
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Format 2

S.No.	Name of scheme	Name of Road	Package Number	Length of approach Road			Details of approach Road		Completion Date of package
				BT	CC	Total	Top width	Curve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10